पंजाब समस्याः एक निर्भीक चिंतन

२६ अप्रैल १९८३

चौधरी चरण सिंह

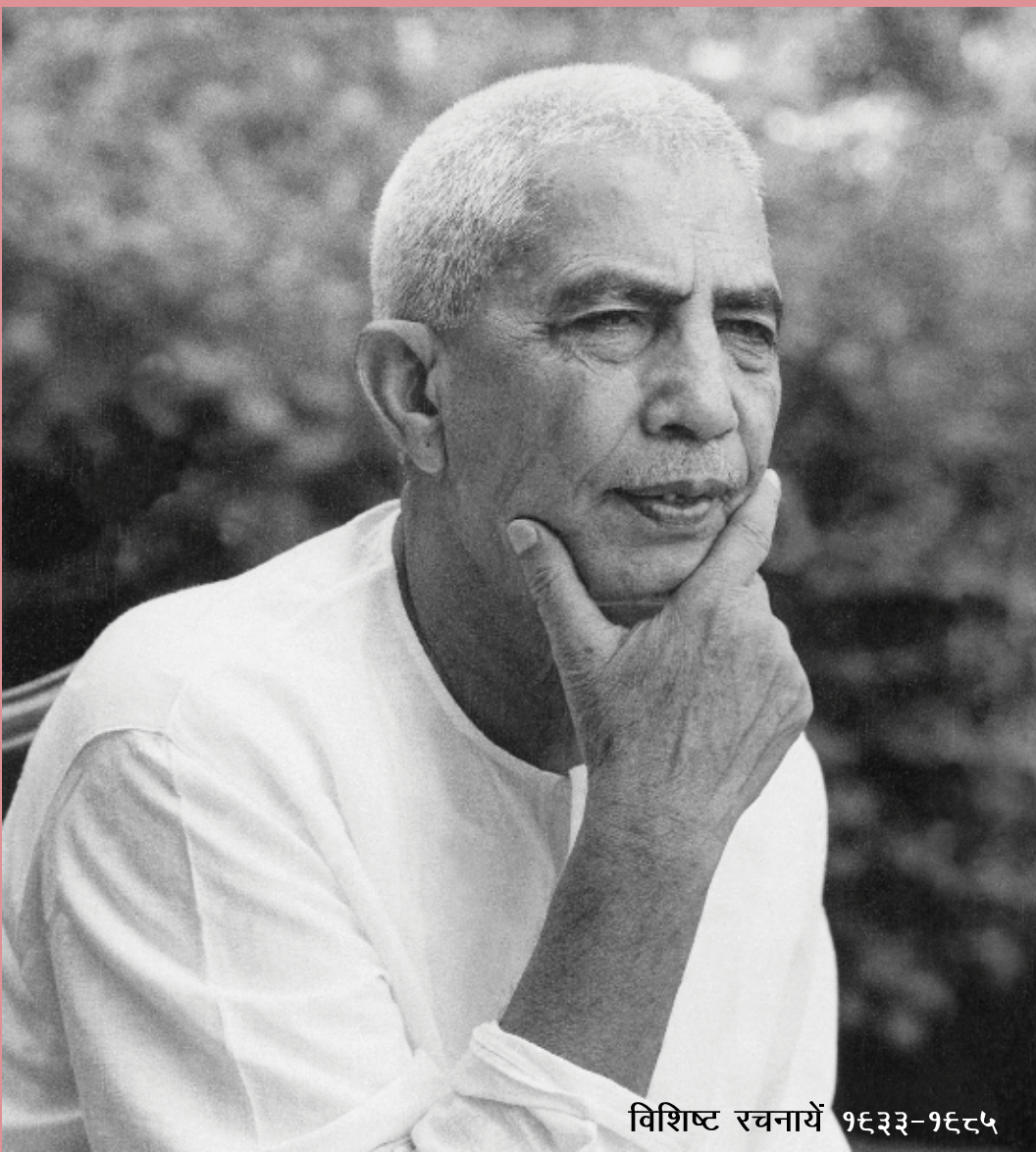

विशिष्ट रचनायें १९३३-१९८५

२६ जनवरी २०२२
चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित
www.charansingh.org
info@charansingh.org

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन को केवल पूर्व अनुमति के साथ
पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।
अनुमति के लिए कृपया लिखें info@charansingh.org

अक्षर तथा आवरण संयोजन राम दास लाल
सौरभ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।

चरण सिंह के पिता मीर सिंह तथा माता नेत्र कौर, १९५०

चरण सिंह का जन्म २३ दिसंबर १९०२ को "एक साधारण किसान के यहां छप्पर छवाये मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था, जहां आंगन में एक कुंआ था, जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था।"[1] संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मढ़ैया में पैदा हुआ यह शिशु आज़ाद भारत में देहात की बुलंद आवाज बना।

---

* चरण सिंह के अपने शब्दों में

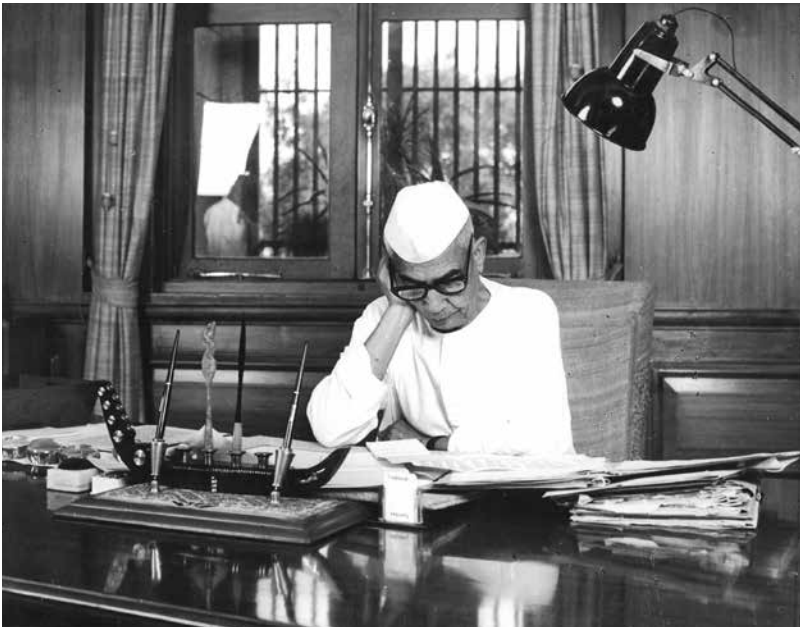

चौधरी चरण सिंह
भारत के प्रधान मंत्री। दिल्लीं, १९७९

ग्रामीण भारत के जैविक बुद्धिजीवी

१
पंजाब समस्या एक निर्भीक चिंतन

पंजाब समस्या का मूल क्या है, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा सरकार की रीतियों–नीतियों के चलते इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे–इन मुद्दों पर २६ अप्रैल, १९८३ को चौधरी चरणसिंह ने लोक सभा में, काम रोको प्रस्ताव पर बोलते हुए पंजाब समस्या का जो विशद विश्लेषण किया, उसमें उनकी दूरदर्शिता, स्पष्टवादिता एवं साहसिकता ज़ाहिर होती है।

आज जिस प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह एक ऐतिहासिक मसला कहा जा सकता है। इससे देश के भविष्य का सवाल जुड़ा हुआ है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसका प्रभाव कोई मामूली पड़ने वाला नहीं है। देश के भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी बात है।

खालिस्तान की मांग या सिखिस्तान या सिख स्टेट, कुछ भी कहिये, यह काफी समय से चली आ रही है। हिन्दुओं ने हिन्दुस्तान ले लिया, मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया और हमारी मांग खालिस्तान के लिए है। इन्हीं अल्फाजों में नहीं, तो दूसरे अल्फाजों में, यह आवाज पहले से उठती रही है। सरदार पटेल के सामने मास्टर तारासिंह जी ने करीब–करीब यही बात कही थी। अल्फाजों में फर्क हो सकता है। सरदार पटेल ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि यह मुमकिन नहीं है। यह आपके लिए और देश के किसी नागरिक के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने जो कहा, मास्टर तारासिंह उसको समझ गये। जो कुछ वे कह रहे थे, उसको वे राजसत्ता के बल पर करने के लिए तैयार भी थे। मास्टर साहब जिस प्रबल भाषा में आवाज उठा रहे थे, उसको उन्होंने बंद किया और देश शांति से चलने लगा। देश भर में किसी व्यक्ति के ज़हन में यह बात नहीं रही कि हमारे सिख भाई हम से अलग होने की बात सोच रहे हैं।

उसके बाद बहुत अरसे तक पं० गोविन्द बल्लभ पंत यू० पी० के चीफ मिनिस्टर रहे, वे होम मिनिस्टर थे। १२ जून, १९६० को पंजाबी सूबा या

पंजाबी स्टेट या जो कुछ भी कहा जाये, इस मांग को लेकर हमारे सिख भाइयों ने एक जुलूस निकालना चाहा। वह जुलूस शीशगंज से रकाबगंज गुरुद्वारे तक निकालना चाहते थे। पंडितजी ने कहा कि यह बात गलत होगी, क्योंकि यह मांग भी गलत है। लिहाजा वह जुलूस शीशगंज से निकलकर रकाबगंज गुरुद्वारे तक नहीं आ पाया और जो लोग जुलूस में थे, वे तितर–बितर हो गये। देश में कोई अवांछनीय घटना नहीं हुई और यथा–पूर्व शांति से देश चलता रहा। इसके बाद सबसे पहले १० जून, १९६८ को दिल्ली में सिख होम लैंड की आवाज उठती है। बाकायदा मेरे पास एक प्रेस रिपोर्ट है और जो बात आज तफसील से कही जा रही है, करीब करीब वही मांग थी। इस पर गवर्नमेंट ने कुछ किया या नहीं, यह मुझको नहीं मालूम। लेकिन, बाजाब्ता यह आवाज उठी।

मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि इससे पहले सन् १९६६ में पंजाब और हरियाणा के दो टुकड़े हो गये। रोहतक में प्रैक्टिस करने वाले एक प्रमुख वकील थे, उन्होंने मुझको एक चिट्ठी में यह लिखा कि हरियाण ा एक छोटा सूबा रह जायेगा और पंजाब भी छोटा सूबा होगा। लेकिन मुगलों के जमाने से दिल्ली सूबा एक था। मेरठ और आगरा डिवीजन तथा हरियाणा का इलाका, यह सब एक ही सूबा था। अंग्रेजों के जमाने में एक सिविलियन ऑफिसर कॉर्बेट ने यह स्कीम रखी थी।

सन् १९२८ में हिन्दू–मुस्लिम एकता का सवाल उठा। उस समय पं० मोतीलाल नेहरु हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुस्लिम भाई अल्पमत में थे लेकिन उनको तरजीह दी जाती थी। हमारे सिख भाइयों ने कहा कि पंजाब में हमको प्रमुखता मिलनी चाहिए, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को और सूबों में मिलती है। मुसलमानों का यह जवाब था कि हमारी कुल ५२–५३ प्रतिशत आबादी है, इसलिए हमें पंजाब में प्रमुखता मिलनी चाहिए। दलील दोनों की ठीक थीं। इस मसले को हल करने के लिए ब्रिटिश सिविलियन ने एक योजना रखी थी, जिसमें राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस पर विचार हुआ। जहां तक मुझे याद है, महात्मा गांधी और जिन्ना साहब ने उसको माना। लेकिन डॉ० गोकुल चन्द नारंग ने, जो हिन्दू महासभा के लीडर थे, स्वीकार नहीं किया। योजना यह थी कि हिन्दी–भाषी क्षेत्र पंजाब में घग्गर नदी तक है। वह कभी पंजाब का अंग नहीं था लेकिन सन् ५७ में शामिल कर दिया गया। वह क्षेत्र, मेरठ और आगरा डिवीजन का क्षेत्र तथा दिल्ली सूबे का क्षेत्र १८०३ में लार्ड लेक की विजय के बाद अंग्रेजों के हाथ में आया। उसे हरियाणा, पंजाब में जोड़ दिया और मेरठ तथा आगरा डिवीजन लखनऊ में शामिल कर दिये गये।

एक साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी, उनका नाम मेरे पास मौजूद है।

उन्होंने कहा कि आप यू० पी० से आवाज उठाइये। यू० पी० से आवाज पहले उठ चुकी थी। मैंने उस आवाज में पहले कभी हिस्सा नहीं लिया था कि यू० पी० का पुनर्गठन होना चाहिए। मैंने उसमें सक्रिय हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि पंडित जी इस चीज को नहीं चाहते थे। जब जनता पार्टी बनी, तो मेरी राय थी कि बिहार, मध्य प्रदेश और यू० पी० का पुनर्गठन होना चाहिए। हमारे उस वक्त के जो प्रधान मंत्री थे, वह उसके लिए शुरू में राजी नहीं हुए, बाद में राजी हो गये।

विभाजन गलत

मुझसे कहा गया कि उधर से यह आवाज उठाएं कि मेरठ, आगरा डिवीजन हरियाणा के साथ मिलाकर दिल्ली सूबा हो जाये। तो उस वक्त जो चिट्ठी मैंने लिखी, वह सुनाता हूं। मेरी राय यह थी कि पंजाब का बंटवारा होना गलती हुई। यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसके नतीजे आगे जाकर गलत निकलने वाले हैं। मैंने उनको लिखा, यह चिट्ठी नवम्बर २४, १९६५ की है–

> "प्रिय चौधरी साहब, आपका १८ नवम्बर का पत्र प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं नहीं समझता कि एक पंजाबी भाषी राज्य का गठन देश के हित में होगा। इसके दूरगामी परिणाम होंगे।"

अब उसके प्रभाव हमारे सामने हैं। यह मैं बता रहा हूं कि १९६६ में बंटवारा हुआ और दो साल बाद खालिस्तान की आवाज उठनी शुरू हो गई। मेरे पास बाकायदा प्रस्ताव की प्रति मौजूद है, १९६८ की। १९७६ में आनन्दपुर साहब में उस प्रस्ताव को फिर दोहराया गया और साफ बात कही गई। जो उसका शुरू में अर्थ लगाया गया, वह कहते हैं हमारा मतलब यह नहीं था कि सिख राज्य अलग बने, सिख देश या खालिस्तान बने। लेकिन जो अल्फाज़ उसमें इस्तेमाल किये हैं, उससे अगर यह अर्थ निकाला जाये कि सिख समुदाय एक सिख राष्ट्र होगा और वह एक अलग देश या हिस्सा चाहते हैं, मुल्क से अलग होना चाहते हैं, तो गलत न होगा, क्योंकि प्रस्ताव के अल्फाज़ यह हैं–

> "शिरोमणि अकाली दल के बुनियादी आधार तत्त्व"
>
> (अ) अभिधारणाः
>
> "शिरोमणि अकाली दल सिख राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं को

मूर्त रूप देने के लिए है और इस प्रकार पूर्ण रूप से इसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी है।"

सिख कम्युनिटी नहीं, सिख राष्ट्र, फिर अगले पृष्ठ २० पर वह कहते हैं–

"राजनीतिक लक्ष्यः

निःसंदेह पंथ का राजनीतिक लक्ष्य सिख इतिहास के पृष्ठों में दसवें गुरु के धर्मादेशों को प्रतिष्ठापित करना और खालसा पंथ का जो मूलभूत लक्ष्य है, वह है खालसा का पुनः उत्कर्ष।"

अब 'प्रीएमीनेंस आफ दि खालसा' का मतलब आम भाषा में यही हुआ कि और लोगों से ज़्यादा अधिकार खालसा पंथ के सदस्यों को होंगे। प्रीएमीनेंस खालसा पंथ की होगी, और लोगों की नहीं। १९७३ में यह प्रस्ताव पास हुआ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी दरअसल धार्मिक मामलों को तय करने के लिए कायम हुई। ननकाना साहब में जो उस वक्त मैनेजर थे, वह मिसमैनेजमेंट कर रहे थे, जिसके लिए सत्याग्रह हुआ, केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मामले में। जहां तक मेरा अन्दाजा है, उनका उद्देश्य सीमित था। धीरे–धीरे उसने राजनीतिक रूप धारण किया और हमारी गलती की वजह से, हमारे नेताओं की गलती की वजह से, आज हम वर्तमान स्थिति में पहुंच गये हैं। अब सब पर यह बात ज़ाहिर हो गई है।

पंजाब के सिलसिले में बात करने के लिए अक्तूबर के आखिरी हफ्ते में इन्दिरा जी ने मुझको बुलाया। मेरी उनकी कोई ४०–४५ मिनट तक बातचीत हुई। मैंने बहुत साफगोई से उनसे बातें की। मैंने इन्दिरा जी से कहा कि (मैं चाहता था कि वह यहां होतीं, लेकिन वह यहां नहीं हैं) जो कुछ हुआ है, यह आपकी गलती के कारण हुआ है। साम्प्रदायिक, जातिगत, भाषाई भेदभाव, यह सब कांग्रेस नेतृत्व, जो कि शुरू से ही शासन में है, की गलत नीतियों के कारण है। उन्होंने एक पैटर्न सेट कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सारे राजनैतिक दलों ने भी वही नीति अपनानी शुरू कर दी, जो आपने अपनायी। सबको वोट की फिक्र थी। वोट मिल जाये किसी सूरत में, किसी भी शर्त पर और हम सत्ता में आ जाएं। पूरी सत्ता में न आ पाएं, तो कुछ में आ जाएं। लेकिन जिस ढंग से हो, वोट मांगे जाएं, जिस तरीके से हो, लोगों से अपील की जाये, चाहे उसके नतीजों के तौर पर देश के टुकड़े क्यों न हो जाएं, मसलन धर्म की बात, साम्प्रदायिकता की बात।

धार्मिक संगठन और राजनीति

पंडित जी कहा करते थे और हम सब लोग कहा करते थे कि साम्प्रदायिकता, जातिवाद और भाषावाद, ये तीनों कारण हैं बिखराव के। लेकिन हमने क्या किया साम्प्रदायिकता के बारे में?

मैंने इन्दिरा जी से यह कहा कि होना यह चाहिए था कि जब देश का बंटवारा हो गया, जिसके लिए न मालूम कितने लोगों ने तकलीफ उठाई, जो हम स्वप्न देखते थे, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जिस पर हमें गर्व था, जिस देश के दो टुकड़े हो गये, तो १६ अगस्त को पण्डित नेहरू को यह अध्यादेश जारी करना चाहिए था कि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए छूट होगी, संगठन बनाने का अधिकार होगा लेकिन जिस संगठन की सदस्यता किसी सम्प्रदाय या एक धर्मावलम्बी लोगों तक सीमित होगी, उसे राजनीति में दखल नहीं देने दिया जायेगा। मुस्लिम लीग ने बंटवारा कराया। लेकिन मुस्लिम लीग ही नहीं, चाहे अकाली दल हो, हिन्दू महासभा हो या हिन्दुओं का कोई और संगठन हो या ईसाइयों का हो, एक ही धर्म के मानने वाले लोगों तक जिसकी सदस्यता महदूद होगी, उसे सभी स्वतन्त्रताएं होंगी, सिवाय इसके कि वह राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर सके, यह करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ।

देश आजाद हुआ और पांच महीने बाद एक धर्मान्ध हिन्दू ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उसके दो महीने बाद ३ मई, १९४८ को अपनी विधायी हैसियत में संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया। उसे हैसियत थी संविधान बनाने की और जो संसद के अधिकार होते हैं, विधान बनाने की। उसी पर अगर अमल कर लिया जाता, तो आज देश की दुर्गति न होती।

तीन मई को यह प्रस्ताव पारित किया गया–

> "चूंकि लोकतंत्र को उचित रूप से चलाने और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, भाईचारे के लिए यह अत्यावश्यक है कि साम्प्रदायिकता को भारतीय जन–जीवन से समाप्त कर दिया जाये। संविधान सभा का विचार है कि किसी भी ऐसे साम्प्रदायिक संगठन को, जो कि अपने संविधान द्वारा या अधिकारियों या विभागों द्वारा किये गये कार्यों, निहित सूझ बूझ से, अपने संगठन में किसी भी व्यक्ति को धर्म, प्रजाति तथा जाति या इनमें से किसी भी आधार पर सदस्यता से अलग रखता हो, समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक मूलभूत

आवश्यकताओं को छोड़कर, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं है तथा इसको रोकने के लिए वैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाये जाने चाहिए।"

संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पास किया था। मैंने इन्दिरा जी से कहा कि बहनजी, अगर खुद पण्डित जी ने यह काम नहीं किया, तो आपको ही करना चाहिए। मुझे तारीख तो याद नहीं है, मैंने अखबारों में पढ़ा था, इसी सदन में जब यह पूछा गया कि मुस्लिम लीग, जो दक्षिण में काम कर रही है, उसको क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है, तो पण्डित जी ने यह जवाब दिया था कि वह साम्प्रदायिक नहीं है, यह दूसरी ही मुस्लिम लीग है। खैर, मैंने इन्दिरा जी से कहा कि आप १९५९ में कांग्रेस अध्यक्ष बनीं और १९६० में पं० नेहरू प्रधानमन्त्री थे। आप दोनों की रजामंदी से यह हुआ होगा—यह नहीं हो सकता कि आपने विरोध किया हो और वे चाहते हों या आप चाहती हों और उन्होंने विरोध किया हो, फिर भी यह हो गया हो। आपने मुस्लिम लीग से मिलकर केरल में मिली—जुली सरकार बना ली।

१९५९ में रबात में मुस्लिम देशों और मुस्लिम बहुल देशों की कॉन्फ्रेंस हुई। भारत सरकार ने श्री फखरुद्दीन अली अहमद को, जो कि उस वक्त औद्योगिक विकास मंत्री थे, अपना प्रतिनिधि बनाकर वहां भेजा। जो उनकी तैयारी समिति थी, उसने कहा कि आप हकदार नहीं हैं, क्योंकि इण्डिया न तो मुस्लिम राष्ट्र है और न ही मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। टर्की ने कहा था कि हम मुस्लिम राष्ट्र जरूर हैं लेकिन हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं। उन्होंने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। इंडोनेशिया ने भी अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा और यह कहा कि हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, इसलिए वहां पर जाना ठीक नहीं समझते हैं। यह तो दो मुस्लिम देशों का रवैया था लेकिन हमारे राजनीतिक नेता का यह रवैया था कि हमारा प्रतिनिधि वहां पर जाकर बैठे। जब पाकिस्तान ने एतराज किया, तो उनको मीटिंग छोड़नी पड़ी और हिन्दुस्तान की नाक एक तरह से सारी दुनिया के सामने कट गई। इसके बारे में उस वक्त बहुत सारे राष्ट्रवादी मुसलमानों ने भी एतराज किया था। मेरे पास उनके नाम मौजूद हैं। छागला साहब ने तो बहुत सख्त बयान दिया था कि वहां पर हमारा नुमाइन्दा क्यों भेजा गया। लेकिन इन्दिरा जी की मर्जी से वह वहां पर गये। इरादा इसके पीछे यह था कि मुस्लिम वोट्स को हासिल किया जाये। मौजूदा प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। हमारी तरफ से तो ऐसे कदम उठने चाहिए, जिससे लोग भूल जाएं कि कौन हिन्दू है और कौन मुसलमान है।

लीग से गठबंधन क्यों?

१९७० में केरल में कांग्रेस (आई) मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ने का फैसला करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें लोग ऐतराज करते हैं कि आपकी पार्टी तो धर्मनिरपेक्ष है, आपने मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? कहा जाता है कि हमने उनके साथ चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारे और इनके प्रोग्राम एक हैं, इसलिए उनके साथ सरकार बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे इनके प्रोग्राम एक हैं–यह क्या दलील है?

उसके बाद जनवरी या फरवरी १९७१ में बम्बई कारपोरेशन में कांग्रेस (आई) मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। केरल के मामले को इनकी नेता यह कहकर फर्क करती हैं कि हमने चुनाव साथ नहीं लड़ा, यह चुनकर आ गये, हमारा इनका दृष्टिकोण एक है, प्रोग्राम एक है, इसलिए मिलकर सरकार बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पांच–छः महीने के बाद ही वह दलील खत्म हो जाती है और कांग्रेस (आई) मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। यह इन का रवैया रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में आज जो हो रहा है, यह सब उसी का नतीजा है।

मुस्लिम मजलिस भी एक साम्प्रदायिक पार्टी थी। मेरी पार्टी और कुछ दूसरी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा–यह बात ठीक है। ऐसा नहीं होता, तो ज़्यादा ठीक होता, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन नकल हमने आपके (कांग्रेस) लीडर की की। उसमें मेरी पार्टी थी और चार–पांच पार्टियां थीं, सबने मिलकर चुनाव लड़ा। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं–शासक दल सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका नेतृत्व सबसे पुराना है, उसने सबसे पहले ऐसा नमूना पेश किया। दूसरे राजनीतिक दलों ने भी उसी तरीके पर कोशिश की, जो मैं समझता हूं कि गलती की है। लिहाजा इस पर खुश होने का कोई मौका नहीं है। नमूना शासक दल ने स्थापित किया और करीब–करीब सभी विपक्षी दलों ने उस पर अमल किया। इसलिए बजाय इसके कि कांग्रेस (आई) यह स्वीकार करे कि गलती की है, उसके कुछ सांसद कहते हैं कि हमने भी गलती की है। हम जो कह चुके हैं–जो बड़े भाई ने गलती की, वही गलती हमने भी की।

जातिवादः जिम्मेदार कौन?

अब जाति की बात को लीजिये। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम

नहीं लिया, लेकिन यह बात सच है कि पंडित जी भी कश्मीरी पंडितों की कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे। वे एक बार नहीं, अनेक बार उनकी कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए हैं। मैंने अपनी किताब में इसका हवाला दिया है, आप चाहें तो मैं उसको सुना देता हूं। समय कम है, इसलिए नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक बार मैंने इन्दिरा जी के सामने भी कहा था कि ऐसे बहुत से सम्मानित कांग्रेसजन हैं, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, वे इस तरह की कास्ट–कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं। एक बार पी.सी.सी. की एक्जीक्यूटिव में यह सवाल उठाया कि क्या एक्जीक्यूटिव के सदस्य को कास्ट कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए? कुछ मुखालफत के बाद यह तय हुआ कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे एक बुजुर्ग नेता थे, जिनकी मेरे मन में सबसे ज़्यादा इज्जत थी–मैंने कहा,–'बाबूजी, आप खत्री समाज की कॉन्फ्रेंस में कानपुर गए थे।' मैं टण्डन जी की तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, जो असंगत हो। मैं कह रहा हूं कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने शुरू में गलती की है और उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी शासक दल की है, जिसमें हमारे करीब–करीब सारे नेता शामिल थे। दूसरे लोगों ने भी नकल की, यह मैं शुरू में ही कह चुका हूं। पंजाब की जो बात है, वहां तो आग लगी हुई है।

अब इन्दिरा जी जोर दे रही हैं, मेरे पास उनकी स्पीचें हैं, रोज उनकी स्पीच हो रही है कि यूनिटी की ज़रूरत है, साम्प्रदायिकता बढ़ रही है, जातिवाद बढ़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता को बढ़ाया है, तो किसने बढ़ाया है? सबसे ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। जातिवाद भी इन्होंने ही बढ़ाया है। अगर आप कहते हैं कि मैंने बढ़ाया है, तो कोई यह बात बतला नहीं सकता कि मैं कभी जाति कॉन्फ्रेंस में गया हूं। शुरू से ही, जबसे मैंने होश संभाला, मैंने कहा है कि जाति को मैं हिन्दुस्तान के पतन का सबसे बड़ा कारण समझता हूं, जिसकी वजह से देश बर्बाद हुआ है। पंडित नेहरू को यह मालूम होना चाहिए था कि अंदरूनी कमियों की वजह से देश गुलाम हुआ, जिसमें एक बड़ा कारण जातिवाद भी था। मैं कभी जाट सभा में नहीं गया और न किसी तरीके से इस चीज को बढ़ाया है। आप अपने (इंका मंत्रियों के) डिपार्टमेंट में जाकर देखिये, जो मैंने काम किया है। कभी जाति के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। जाति में मेरा विश्वास नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि आजकल इन्दिरा जी बहुत कुछ कह रही हैं कि विभाजक तत्त्व देश में मजबूत हो रहे हैं और यह हो रहा है, वह हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन विभाजक तत्त्वों को किसने मजबूत किया है? सारे देश में जहां भी कांग्रेस

(आई) की गवर्नमेंट है, चाहे आप कैबिनेट का गठन देख लीजिए, ऑल इण्डिया का देख लें और यू० पी० के अन्दर प्रशासन को देख लें कि किस तरह से वहां पर नियुक्तियां होती हैं, किस तरह से वहां पर प्रोन्नतियां होती हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरे कहने का मतलब यह है कि साम्प्रदायिकता को कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ाया है और जातिवाद को कांग्रेसमैन लाये हैं।

राष्ट्रभाषा की समस्या

जहां तक भाषावाद की बात है, हिन्दी को पूह–पूह करके खत्म कर दिया और कहा 'नो नो, वी आर वन नेशन।' ३१ वर्ष पहले १९५३ में इन्होंने कहा था कि हिन्दी को किसी पर लादा नहीं जायेगा लेकिन हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनना है। माना, हिन्दी को लादना नहीं है और संविधान में लादने की कोई बात भी नहीं है। सिवाय तमिलनाडु के प्रतिनिधियों के सारे देश के प्रतिनिधियों ने इस बात को माना था कि हिन्दी रखनी है। हिन्दी नहीं रखनी है, चलिए हिन्दी न सही। तो जिन दोस्तों ने एतराज किया है, उनको बुलाकर पूछा जाये कि किस भाषा को रखना है। संस्कृत रख लीजिए और कुछ लोगों का जो यह ख्याल है कि यह बहुत कठिन भाषा है, तो ऐसी बात नहीं है। ४–६ महीने में उसे आसानी से सीखा जा सकता है और मेरा कहना तो यह है कि अगर मुल्क को एक राष्ट्र रहना है, तो एक भाषा होनी चाहिए, एक जुबान होनी चाहिए।

अभी आपका एक प्रतिनिधि मंडल चीन गया था। वहां सब अंग्रेजी में बोले। चीन के लोगों ने पूछताछ की कि आपकी कोई भाषा नहीं है। जो लोग वहां गये थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इस बात का मजाक हुआ और बराबर मजाक उड़ता रहा है। यह स्थिति नेतृत्व की गलती की वजह से हुई है।

अब सवाल यह है कि आज जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे भी राजनीति है। मुझे ऐसे राजनीतिज्ञों के नाम लेने पड़ रहे हैं, जिनका कि मैं नहीं लेना चाहता था। क्योंकि, सदन में जब इस चीज पर गौर हो रहा है, तो मुझे नाम लेना पड़ेगा और उनका नाम लेना पड़ेगा, जो हिन्दुस्तान के राजनीतिक ढांचे के सबसे बड़े पद पर आसीन हैं। १९७७ तक पंजाब में कांग्रेस–हुकमत थी। उसके बाद १९७७ में जब सब जगह दूसरी सरकार आयी, तो पंजाब में श्री प्रकाशसिंह बादल की सरकार आ गयी। उस वक्त यह कोशिश की गई कि अकाली दल के खिलाफ कोई भी शिगूफा खड़ा किया जाये और कोई कार्यवाही करने की बात शुरू की गयी। उसकी

तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास लेख है। आप उसे पढ़ करके मुझसे बात कर लेना, अगर आप सचाई जानना चाहते हों तो उसे पढ़ना।

यह 'सण्डे' (मैगजीन) है–२५ अप्रैल से १ मई तक की और यह कलकत्ता से निकलती है। यह आनन्द बाज़ार पत्रिका का पब्लिकेशन है। उसके जो वाक्य हैं, उन्हें मैं पढ़ देता हूं–

> "इस प्रकार दल खालसा, उग्रवादी सिखों का संगठन, जो कि एक अलग खालिस्तान की वकालत कर रहा है और पिछले सितम्बर में जो इण्डियन एयर लाइंस के बोइंग ७३७ का अपहरण कर पाकिस्तान ले जाने के पीछे था, केन्द्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैलसिंह से संरक्षण पाता है।"

यह गवाही उसकी है, जो कि अपहरण करने वाले लोगों का लीडर था। वे लोग गिरफ्तार हो गये। पुलिस के सामने उस (अपराधी) ने स्वीकार किया और कहा कि हमारे १७ बहुत बड़े–बड़े सक्रिय हमदर्द हैं, १७ आफीसर्स हैं जिनमें लीडिंग पब्लिक लाईफ के लोग हैं। वह उनके नाम बताता है। इस लेख में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि ज्ञानी जैलसिंह के दोस्त हैं, उनके अजीज हैं, उनके नियुक्त किये हुए हैं।

(जिस समय चौधरी साहब इस सन्दर्भ में बोल रहे थे, उस समय संसदीय कार्य, खेल और आवास मन्त्री श्री बूटासिंह ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि वह संसदीय नियमों के अनुसार राष्ट्रपति महोदय के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते। इस पर चौधरी साहब ने स्पष्ट किया कि वह श्री ज्ञानी जैलसिंह के नाम का उल्लेख भारत के राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि तत्कालीन गृहमन्त्री के रूप में कर रहे हैं।

सांसद श्री आर० एल० भाटिया तथा श्री बूटा सिंह ने कहा कि यह कोई सबूत नहीं है तथा यह गृहमन्त्री के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। इस पर चौधरी साहब ने कहा कि तत्कालीन गृहमन्त्री को उसी समय इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण देना चाहिए था, इसका खंडन करना चाहिए था, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।)

खालिस्तान की मांग के पीछे बाहरी हाथ होने की बात भी की जाती है। एक–दो देशों के नाम भी लिये गये हैं। कुछ मुल्क हमारे देश को टुकड़े–टुकड़े देखना चाहते हैं। अगर बदकिस्मती से देश बंटा, तो यह इस देश के नेतृत्व की गलतियों के कारण होगा। वैसे देश बंटेगा नहीं। आज हम देख रहे हैं कि यू.एस.ए. का क्या रवैया है, कनेडियंस का क्या रवैया है। ब्रिटिश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लेविंगटन ने जिस तरीके का फैसला दिया है, उससे बाहर के देशों के स्वार्थों का पता लगता है।

भिंडरांवालाः हीरो किसने बनाया?

क्या गुरुद्वारों में प्रार्थना के लिए या किसी धार्मिक स्थान पर, कोई अपराधी या पुलिस जिस पर शक करती हो कि उसने अपराध किया है, ऐसा कोई आदमी, जा सकता है? इस सिलसिले में मैंने इन्दिरा जी को पत्र लिखा है। मैंने उसमें यह भी लिखा है कि संत भिंडरांवाला पर लाला जगतनारायण के कत्ल का आरोप था। आरोप गलत होगा, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। उल्टे रेडियो पर घोषणा की कि उनका वारंट जारी हुआ है। रेडियो पर यह बात घोषित की जाती है। इसके बाद संत भिंडरांवाला यह कहते हैं कि फलां जगह, फलां वक्त और फलां तारीख को मैं अपने आपको पेश करूंगा। लाख–दो लाख लोग इकट्ठे हए और सरकार चुपचाप देखती रही। उस वक्त भी मैंने इन्दिराजी को लिखा था कि इस तरह से उसका सिर ऊंचा हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? यह किसकी गलती है? यह गलती भारत सरकार की है। उस गलती को बताने का हक हमको होना चाहिए, क्योंकि हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं।

यही नहीं, मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पत्र लिखते हैं ज्ञानी जैलसिंह जी को कि दो सौ आदमियों के साथ भिंडरांवाला बिना लायसेंस के हथियारों के साथ दिल्ली आ रहे हैं। वे तीन हफ्ते यहां पर रहते हैं। बिना लायसेंस के हथियारों को बस की छत पर रखकर राउण्ड लेते हैं। मैंने इंदिरा जी को लिखा कि इतने राजनीतिक महत्त्व की बात आपकी इत्तिला में न हो, यह नहीं हो सकता। बाकायदा अखबारों में खबरें छपती हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इससे यह नतीजा निकालें कि वह कानून से ऊपर हैं, वह कानून की गिरफ्त से भी बाहर हैं। इससे दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

आज तक १०० आदमियों का खून हो चुका है। १०१वीं हत्या पुलिस के डी० आई० जी० की हुई। १०२वीं हत्या आज पटियाला में या किसी अन्य जगह पर हुई है। वहां पर इससे जो तनाव हो रहा है, उससे ज़ाहिर है कि वह राजनीतिक हत्या है। एक आदमी पर भी मुकदमा नहीं चल रहा है। मुझे लगता यह है कि सरदार दरबारा सिंह कानून और व्यवस्था लागू करने के मामले में कुछ करने के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं। वे यहां से हुक्म लेते हैं। मैंने इन्दिराजी को लिख दिया है कि आपने संत भिंडरांवाला को हीरो बनाया है। गुरु नानक निवास के क्या मायने हैं? ठीक है, वह मंदिर है। क्या दुनिया के किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में अपराधी चला जाय, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता?

इतना बड़ा पुलिस अफसर मारा गया और पुलिस कहती है कि गोली

यहां से आई है, गोली वहां से आई है। इस मामले की तहकीकात पुलिस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैंने इन्दिरा जी को पत्र लिखा है और उन्होंने २५ मार्च को जवाब दिया है–

> "साम्प्रदायिक तत्त्वों से कड़ाई से निपटने की अपनी इच्छा की सदाशयता को हमें सिद्ध नहीं करना है।"

अपने लिए साम्प्रदायिक तत्त्वों के खिलाफ कुछ भी कह लीजिए लेकिन आपने ठीक तरह से डील नहीं किया है।

> "समाज विरोधी तत्त्वों को गुरुद्वारों में शरण देने के बारे में हमें निश्चित रूप से चिन्ता है। लेकिन गुरुद्वारों में पुलिस भेजने के आपके सुझाव की गम्भीर प्रतिक्रिया होगी।"

अगर आप देश पर शासन नहीं कर सकती हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सबसे बड़े अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? क्यों? जो हत्या, जुल्म और डकैती करता है, स्टैन गन लेकर चलता है और मैं तो भिंडरांवाले के बारे में कहूंगा कि १०–२० आदमी उसके साथ चलते हैं। वहां सैकड़ों आदमी मौजूद हैं। पुलिस अन्दर नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया खराब होगी। यह कोई व्याख्यान देने वाली जगह नहीं है, यह धर्म–स्थान है, जहां गुरु ग्रंथ साहब या पुराण का पाठ किया जा सकता है। कहीं जब यह आभास दिया जायेगा कि अमुक जाति और अमुक किस्म के लोग कानून के ऊपर हैं, तब कैसे काम चलेगा?

एक बात यह है कि यूनिवर्सिटी में कोई आदमी या पुलिस नहीं जा सकती है, जब तक वाइस चांसलर की इजाजत न हो। मैं जब होम मिनिस्टर हुआ तो मैंने सबसे पहले यह आर्डर किया कि 'उत्तर प्रदेश का प्रत्येक इंच भाग पुलिस कार्य क्षेत्र में है। उन्हें वाइस चांसलर की इजाजत की ज़रूरत नहीं है।' तब एक कुत्ता भी नहीं भौंका, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि मैं अपनी बात पर फिर से विचार करने वाला व्यक्ति नहीं था। अब सवाल यह है कि इस मामले से कैसे निपटा जाये? जब तक कानून लागू नहीं किया जायेगा, तब तक यह बात बढ़ती ही रहेगी। लिहाजा कानून को लागू करना चाहिए, तब जाकर काम चलेगा। शिकायतों को शिकायत हल करने के तरीके से ही दूर किया जायेगा।

हिन्दू–सिख एक हैं

मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इन्दिरा जी से अलग से भी कहा कि

सिख और हिंदू दो नहीं हैं–ये एक हैं। हिंदू का शरीर और रक्त सिख का है और सिख का रक्त और हड्डियां हिन्दू की हैं। गुरु लोगों ने, मेरे इतिहास के ज्ञान के हिसाब से, हिन्दुओं की खातिर कुर्बानी दी। अंग्रेजों के जमाने में जुल्म हो रहे थे, तो उन्होंने नेतृत्व दिया। अब जो सूरत पैदा हो गई है, उसको छोड़ दीजिये। लेकिन मेरे ख्याल में सिखों से ज़्यादा हिन्दू गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए जाते थे।

अल्पसंख्यक आयोग हमारे यहां जनता पार्टी के शासन में कायम हो गया था। मैं उस समय वकिंग कमेटी में मौजूद नहीं था। मैं उसी समय आया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। मैंने मोरारजी भाई से कहा, वे भी देर से आये थे, मैंने कैबिनेट से तय करा लिया कि अल्पमत आयोग से समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। मेरे सामने सवाल उठा था कि सिखों को अल्पसंख्यक माना जाय या नहीं। मैंने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। बहुत खुलकर और सीधी बात कह रहा हूं। प्रकाश सिंह बादल और जगदेव सिंह तलवंडी से मेरे कुछ व्यक्तिगत ताल्लुकात भी हैं, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल और मैं एक ही जेल में रहे थे। मैंने कहा, यह बताइये कि अल्पमत की परिभाषा क्या है? किसी गुरु ने कहा है कि आप हिन्दू नहीं हैं? गुरु ग्रंथ साहब में कहीं लिखा है? बल्कि आखिरी गुरु गोविन्द सिंह ने देवी की पूजा की, उन्होंने मंत्र लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, गीत गाये हैं, किसी ने कभी कहा कि हिन्दू नहीं हैं? हिन्दू फिर क्यों जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब के पाठ में और क्यों मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे में?

जहां तक दर्शन का सम्बन्ध है, जो आधार–दर्शन है–आत्मा का रूप बदलना, कर्म का सिद्धांत, उसको मैं मानता हूं। हर मजहब में थोड़ा–थोड़ा फर्क होता है। मैं इत्तफाक से आर्य समाजी हूं। मूर्ति–पूजा में विश्वास नहीं करता हूं, अवतार, जाति–प्रथा और श्राद्ध में विश्वास नहीं करता हूं, तो क्या यह दावा कर सकता हूं कि हम भी अल्पमत हैं? मुसलमानों में भी अलग फिरके हैं। तो इस तरह मैं सिखों को अल्पमत मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और वह चले गये। उसके बाद उन्होंने कोई लैटर नाराजगी का नहीं भेजा, कोई बयान नहीं दिया, कोई नाखुशी ज़ाहिर नहीं की तथा समय से समझौता कर लिया और अल्पसंख्यक आयोग ने काम करना शुरू कर दिया।

धीरे–धीरे लोगों की महत्त्वाकांक्षाएं बढ़ाइये, गलत चीजें करके लोगों को गलत रास्ते पर ले जाइये, वोट जरूर मिल जायेंगे, जो वोट का इरादा है कि हिन्दू को डराया जाय और हिन्दू डरा हुआ है, मैं जानता हूं, हिन्दू मेरे पास आये हैं और मुझसे कहा चलने के लिए। मैंने कहा नहीं, यह

ठीक नहीं है, तुम लोग अपने को संगठित करो और गुरुओं का जहां तक ताल्लुक है, गुरुद्वारा या गुरु ग्रन्थ का जहां तक ताल्लुक है, कभी कोई ऐसी बात न कहो, जो किसी को कड़वी लगे या बुरी लगे। और अगर नरम दल, जिसके नेता प्रकाश सिंह बादल हैं, यह हिम्मत करके आगे बढ़ते, तो यह नौबत न आती, जो आज आ रही है। लिहाजा यह मामूली बात नहीं है। अगर खालिस्तान बन जाता है, तो कल को और स्तान बनेगा। नार्थ–ईस्ट इण्डिया के अन्दर, मुझे डर है, २–३ साल के अन्दर क्रिश्चियन राज्य की मांग उठने वाली है। हम लोग धर्म, जाति, भाषा सब में बंट गये हैं और हमारे नेता, जिनमें वास्तव में बड़प्पन था, जो हमारी असली बड़ी लीडरशिप थी, जिसने देश को आजाद कराया था, उसकी गलती रही। जितनी पार्टियां हैं करीब–करीब सबने बही रास्ता अपनाया।

चौधरी चरण सिंह द्वारा रचित कृतियां

शिष्टाचार, १९४१. (२०१ पृष्ट)

हाउ टू एबोलिश जमींदारीः ह्विच एल्टरनेटिव सिस्टम टू एडाप्ट। (ज़मींदारी उन्मूलन कैसे करें: किस वैकल्पिक प्रणाली को अपनाएं) १९४७. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

एबोलिशन ऑफ ज़मींदारीः टू अल्टरनेटिव्ज। (जमींदारी उन्मूलनः दो विकल्प) १९४७. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (२६३ पृष्ट)

एबोलिशन ऑफ जमींदारी इन यू० पी०: क्रिटिक अंसरड। (उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलनः आलोचकों को जवाब) १९४९. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

व्हितहर कोआपरेटिव फार्मिंग? (सामूहिक खेती की दिशा?) १९५६. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश।

एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। (उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति) १९५७. प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश १९५८ लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश। (६६ पृष्ट)

जॉइंट फार्मिंग एक्स–रैडः द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। (संयुक्त खेतीः समस्या और समाधान) १९५९. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (३२२ पृष्ट)

इण्डियाज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन। (भारत की गरीबी और उसका समाधान) १९६४. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई। (५२७ पृष्ट)

इण्डियन इकोनॉमिक पॉलिसीः दि गांधियन ब्लूप्रिंट। (भारत की अर्थनीतिः एक गांधीवादी रूपरेखा) १९७८. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (१२७ पृष्ट)

इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इण्डियाः इट्स कॉज़ एण्ड क्योर। (भारत की भयावह आर्थिक स्तिथिः कारन एवं निदान) १९८१. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (५९८ पृष्ट)

लैण्ड रिफॉर्म्स इन यू० पी० एण्ड दि कुलक्स। (उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं कुलक वर्ग) १९८६. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (२२० पृष्ट)

'विशिष्ट रचनाएंः चौधरी चरण सिंह' भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह द्वारा १९३३ और १९८५ के बीच लिखित २२ महत्वपूर्ण लेखों और भाषणों का संग्रह है। इस पुस्तक के अध्ययन से आज का पाठक वर्ग जान सकेगा कि मौजूदा समय की चुनौतियां न तो नई हैं और न ही समाधानहीन। इनसे निपटने के लिए एक मन–सोच अथवा जिगरा चाहिए, जो निश्चय ही धरा–पुत्र चरण सिंह में था। उनका लेखन उस प्रकाशस्तंभ की तरह है जो समुद्र में भटके हुए जहाजों को किनारे तक आने का रास्ता दिखाता है। उनके लेखन के आलोक में हम मौजूदा चुनौतियों को सही परिप्रेक्ष्य में न केवल समझ सकते हैं अपितु उनका समाधान भी पा सकते हैं। इन लेखों में उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के दर्शन होते हैं। विषयवस्तु की दृष्टि से इन लेखों को सामाजिक लेखन, आर्थिक लेखन, राजनीतिक लेखन एवं उपसंहार – चार खण्डों में विभाजित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह की अध्यात्मिक अंतश्चेतना और राजनीतिक मेधा महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं महात्मा गांधी से अनुप्रेरित रही, तो सरदार पटेल उनके नायक रहे। इन विभूतियों पर चौधरी साहब ने अपने विचार लेखों में प्रस्तुत किये हैं। जाति–प्रथा, आरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रभाषा जैसे सामाजिक मुद्दों के साथ ही शिष्टाचार जैसे विरल विषय पर भी दो लेख **खण्ड एकः सामाजिक लेखन** में दिये गये हैं।

चौधरी साहब भारत की उन्नति का मूल आधार कृषि, हथकरघा और ग्रामीण भारत को मानते थे। उनकी दृष्टि में ग्रामीण भारत ही वह नियामक तत्व रहा जिसे प्रमुखता देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, साथ ही बेरोजगारी जैसी विकट समस्या को भी दूर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सम्बंधी सुधारों और जमींदारी समाप्त करने को लेकर चौधरी चरण सिंह पर धनी किसानों के पक्षधर होने के आरोप विरोधियों ने लगाये। उनका उन्होंने बेहद तार्किक ढंग से उत्तर दिया है। गांव–किसान और खेती के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां एवं काले धन की समस्या जैसे तथा उपरोक्त विषयों पर केन्द्रित लेख **खण्ड दोः आर्थिक लेखन** के अन्तर्गत दिये गये हैं।

खण्ड तीनः राजनीतिक लेखन के अन्तर्गत भारत की लम्बी गुलामी के मूल कारणों का विश्लेषण, गांधी–चिंतन, देश में पहली गैर–कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार की आधारभूत नीतियां, देश विख्यात माया त्यागी कांड का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, भाषा आधारित राज्यों के खतरे आदि मुद्दों के अलावा उनके नायक सरदार पटेल की स्मृति पर आधारित लेख हैं। इसी खण्ड में चौधरी साहब के ऐतिहासिक महत्व के दो भाषण भी संकलित हैं, जो लोकशाही पर संकट और राष्ट्रीय विघटन के खतरों के प्रति सचेत करते हैं।

अंतिम **खण्ड चारः उपसंहार** है, जिसमें चौधरी साहब ने राजनीति, समाज नीति और देश से सम्बंधित अधिकतर मुद्दों पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

Charan Singh Archives
www.charansingh.org

मूल्य ₹६६